prof. Baijn Banza (pedagogy of Hindi)

CLASSMATE
Date :
Page :

कुछ धार्मिक शब्द जो किसी धर्म के मानने वालों के लिए ऊर्जा का स्रोत तथा पवित्रता का आधार होते हैं और उस धर्म विशेष के मानने वाले व्यक्तियों में अनुशासन व संयम का संचार करते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रभाव अन्य धर्म के व्यक्तियों के लिए शून्य होता है और कभी-कभी घृणा, विद्वेष आदि नकारात्मक भावनाओं के साथ-साथ ऊर्जा का क्षय भी करते हैं कहने का अर्थ यह है कि किसी विशेष भाषा समूह का सदस्य होने और संस्कृति विशेष का अनुयायी होने के आधार पर हमारे चिंतन की क्षमता और दिशा दोनों ही प्रभावित होती है। भाषा के अभाव में सम्प्रेषण और चिंतन दोनों ही संभव नहीं है।

* भाषा के विषयों के रूप में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत उर्दू, तमिल मलयालम, मैथिली इत्यादि भाषाओं का अध्ययन करते हैं माध्यम की भाषा को भी विद्यार्थी एक विषय के तौर पर पढ़ सकता है जैसे हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया गया है उसे विद्यालयी पाठ्यक्रम में एक विषय के तौर पर भी पढ़ाया जाता है।

* विषय के रूप में भाषा :-

विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता है जैसे- गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। भाषा के विषयों के रूप में जैसे- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, मलयालम इत्यादि भाषाओं का अध्ययन कराते हैं जब सभी विषयों को पढ़ने के लिए किसी एक भाषा को माध्यम बनाया जाय तो वह हमारी शिक्षा प्राप्त करने की भाषा हो गई। भारत में त्रिभाषा सूत्र के संदर्भ में बच्चा माध्यमिक स्तर तक तीन भाषाओं का अध्ययन कर लेता है। माध्यम की भाषा को भी विद्यार्थी एक विषय के तौर पर पढ़ सकता है। ②

Prof. BAIJU BAWRA (pedagogy of Hindi)

Course-4 B.Ed. 1st Year (language across the curriculum)

Unit-03- Language - School Curriculum.

(a) language as a subject and as a 'medium' in school.

* **Language:-** भाषा का प्रयोग जितना ही नैसर्गिक, सरल और उपयोगी है इसको परिभाषित करना उतना ही कठिन है भाषा मानव की नैसर्गिक जैवीय क्षमता के साथ ही एक साँस्कृतिक विशेषता भी है जो विभिन्न भाषाओं के मध्य अंतर का आधार है। भाषा किसी समाज के अंदर अनेकानेक जटिल व्यवस्थाओं के मध्य एक जटिल व्यवस्था है। जिसमें कई उप-व्यवस्थाएँ होती हैं मानव भाषा का विकास कब और कैसे हुआ इसपर कोई एक मत निराकरण नहीं हो सका है। विषय की जटिलता और अनुभवजन्य साक्ष्यों के अभाव के कारण (भाषायी समाज पैरिस, 1871) ने इस विषय पर तत्कालीन और भविष्य में किसी भी परिचर्चा पर रोक लगा दी थी (Larson, Dprez & Yamakido, 2010 यह प्रतिबंध पश्चिमी देशों में बीसवीं शदी के अंततक प्रभावकारी बना रहा है तथापि (चोमस्की, हुज्चर, फिच) आदि विद्वानों के इस दिशा में सतत कार्यशील रहने से इस विषय पर लगा प्रतिबंध प्रतीकात्मक रूप से खत्म हो जाता है और अर्थहीन हो जाता है। भाषा की उत्पत्ति के विषय में उपलब्ध अनेकानेक सिद्धान्त व स्रोत प्रचलित रहे हैं उनमें से कुछ पर चर्चा होती है।

भाषा का शिक्षा की विषय में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि भाषा सिर्फ सम्प्रेषण का माध्यम ही नहीं बल्कि व्यक्ति के विचारों का आधार होती है। यह तथ्यात्मक रूप से (Borodotsky 2001) में भाषा या शब्दों का मानव मस्तिष्क पर बहुत असर होता है उदाहरण हेतु धार्मिक व्यवहार को ले सकते हैं। विभिन्न धर्मों के मध्य जो मतभेद और संघर्ष होता है वह मुख्यतः भाषा का ही संघर्ष है।

जैसे हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया गया है। और उसे विद्यालयी पाठ्यक्रम में एक विषय के तौर पर भी पढ़ाया जाता है भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि विद्यालयों की पाठ्यचर्या में मातृभाषा को केन्द्रीय स्थान दिया जाए। मातृभाषा को स्कूलों में केवल एक विषय के तौर पर ही न पढ़ाया जाए अपितु अन्य विषयों की शिक्षा भी उसी भाषा के माध्यम में दी जाय।

* संविधान एवं शिक्षा समिति के रिपोर्ट में भाषाओं की स्थिति

→ भारतीय संविधान के भाग 17 में धारा 343-351 तक भारत में भाषाओं संबंधी प्रावधान।

(1) → संघ की राजभाषा :-

संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगी।

(2) → खंड (1) किसी बात को होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान शासकीय प्रयोजन हेतु अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा।

→ उक्त अनुच्छेद में संसद पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा भाषा संबंधी प्रयोजन के प्रयोग हेतु विनिर्दिष्ट किये जा सकते है।